भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2854
(दिनांक 17.12.2025 को उत्तर के लिए)

केन्द्र सरकार के अधिकारियों को प्रशिक्षण

2854. श्री अरुण गोविल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के ज्ञान और क्षमता संवर्धन हेतु उन्हें समय-समय पर प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक है और ऐसा प्रशिक्षण समय के साथ उनकी सोच को नवीनतम सूचनाओं से युक्त करने में मदद करता है और उनको नई प्रौद्योगिकियों के बारे में अपेक्षित समझ प्रदान करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को आवधिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्मचारियों की बढ़ती संख्या के अनुरूप प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या में वृद्धि की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रावधान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) : जी, हां। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की कार्यकुशलता, कार्यात्मकता और डोमेन संबंधी दक्षताओं तथा प्रौद्योगिकी तत्परता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और निरंतर क्षमता विकास आवश्यक है। संवर्ग प्रशिक्षण योजनाओं सहित ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमता विकास सुनिश्चित किया जाता है जिसमें प्रवेशन (प्रवेश-स्तर), मध्य कॅरियर और पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं।

(ख) और (ग): सरकार विभिन्न संवर्गों के कर्मचारियों के लिए संवर्ग प्रशिक्षण योजनाओं के तहत, आवधिक प्रशिक्षण की संरचित नीति का पालन करती है। क्षमता विकास को निरंतर बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार के प्रशिक्षण संस्थानों और आईगॉट कर्मयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को वर्तमान में प्रशिक्षण संस्थानों के विद्यमान नेटवर्क के माध्यम से पूरा किया जाता है, जो लगातार बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार, कार्यक्रमों का संचालन करते हैं। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के उभरते हुए कौशल और ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए पाठ्यक्रम की परिचर्या और डिजाइन को समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

(घ) : जी, हां। राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी, जब भी लागू हो, केन्द्र सरकार के प्रशिक्षण संस्थानों में नामित और प्रशिक्षित किया जाता है। इसके अलावा, आईगॉट कर्मयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म, राज्य सरकार के कार्मिकों के लिए उपलब्ध है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से 95.75 लाख से ज्यादा कर्मचारियों ने इस प्लेटफॉर्म में अपना नामांकन करवाया है और इस प्लेटफॉर्म पर 2.8 करोड़ से ज्यादा पाठ्यक्रम पूरे किए हैं।

*****